न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. इन्द्रजीत यादव (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
03/2022	2022/78	09.11.2022	18.01.2023

श्री कानजी पिता गौतम मीणा उम्र व्यस्क निवासी उचित मुल्य दुकानदार केलामेला तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

:– विपक्षीगण

अपील बनाराजगी प्रकरण संख्या 27/2022 दिनांक 05.08.2022 (निलम्बन आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोजन/2022/382–88 दिनांक 12.05.2022)

उपस्थिति :–
1. श्री अशोक कुमावत (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. पैरोकार सरकार रसद

–: आदेश :– दिनांक :–18.01.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध बनाराजगी प्रकरण संख्या 27/2022 दिनांक 05.08.2022 (निलम्बन आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोजन/2022/382–88 दिनांक 12.05.2022) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षण रसद द्वारा दिनांक 07.05.2022 को अपीलान्ट द्वारा संचालित उचिम मुल्य दुकान केलामेला तहसील पीपलखुंट का निरीक्षण किया गया जिसमें उनके द्वारा वक्त निरीक्षण माह मई 2022 का 72.18 क्विटल व अप्रेल PMGKY का 76.34 क्विटल कुल 148.52 क्विटल गेहुँ का स्टॉक में उपलब्ध होना बताते हुए भौतिक सत्यापन में 285 कट्टों में 142.5 क्विटल व 50 किग्रा लुज मिला इस प्रकार 5.52 क्विटल गेंहुँ स्टॉक में कम पाया गया तथा उचित मूल्य दुकान पर आवश्यक सूचनाएं अंकित नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र FPS कोड संख्या 15199 को जरिये आदेश दिनांक 12.05.2022 को आगामी आदेश तक निलम्बित कर दिया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध जरिये प्रकरण संख्या 27/2022 दर्ज करते हुए दिनांक 12.05.2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया तथा जरिये आदेश दिनांक 05.08.2022 को अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया गया।

जबकि अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य दुकान केलामेला के वक्त निरीक्षण स्टॉक में उपलब्ध मात्रा एवं भौतिक सत्यापन में उपलब्ध मात्रा का सही तरीके से सत्यापन नहीं किया गया। अपीलार्थी को प्राप्त होने वाले स्टॉक की मात्रा एवं प्राप्त सप्लाई की अनियमितता पर विचार नहीं किया फिर भी अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र के

जिला कलक्टर
(राज.)

निलम्बन एवं निरस्तीकरण के उपरान्त भी कमी स्टॉक की मात्रा वैकल्पिक उचित मुल्य
दुकानदार FPS कोड 15205 कुपड़ा के संचालक श्री राजेन्द्र प्रसाद को कमी स्टॉक मात्रा
50.02 क्विटल गेहुँ सूपुर्द कर दिया गया था।

अपीलार्थी विगत 25—30 वर्षो से उचित मुल्य दुकान का संचालन कर रहा है तथा
अपीलार्थी के विरूद्ध कभी कोई अनियमितता की शिकायत अथवा जांच नहीं हुई है केवल
वक्त निरीक्षण ऑन लाईन स्टॉक में उपलब्ध मात्रा एवं भौतिक रूप से उपलब्ध गेहुँ की
मात्रा का समुचित सत्यापन नहीं करने पर भी अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया
जाना अनुचित रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी का
प्राधिकार पत्र बहाल फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिस
पर विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार रसद स्वयं उपस्थित हुए तथा अधिनस्थ से प्राप्त
रिकार्ड पत्रावली रिकार्ड पर रखी गई। बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए
मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी द्वारा संचालित उचिम मुल्य दुकान केलामेला के
वक्त निरीक्षण उपलब्ध स्टॉक रिकार्ड एवं भौतिक रूप से उपलब्ध गेहुँ की मात्रा का सही
तरिके से सत्यापन नहीं किया गया था तथा आवश्यक सूचना पट्ट पर सूचनाओं का अंकन
नहीं होने को आधार बता कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं निरस्त किया जाना
न्याय एवं नियमों के विपरीत रहा है अपीलार्थी विगत 25—30 वर्षो से उचित मुल्य दुकान का
संचालक रहा है जिसके विरूद्ध कभी भी कोई शिकायत अथवा जांच कार्यवाही संचालित
नहीं हुई है तथा अपीलार्थी एकल परिवार का व्योवृद्ध होकर उसकी कोई जायन्दा सन्तान
भी नहीं है उसके पास आय का स्त्रोत उचित मुल्य दुकान होकर उसकी जीवन यापन
उचित मुल्य दुकान पर ही निर्भर है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर
अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

इसी प्रकृम में उपस्थित पैरोकार सरकार जिला रसद अधिकारी द्वारा अपील मेमों में
वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा संचालित उचित मुल्य
दुकान FPS कोड संख्या 15199 केलामेला के वक्त निरीक्षण दिनांक 07.05.2022 के दौरान
की गई जांच कार्यवाही नियमानुसार रही है जिसकी समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की
उपस्थिति में की जाकर समस्त स्थितियों से मौके पर अवगत कराया गया था तथा जांच
कार्यवाही में पाई गई अनियमितताओं की संपुष्टि हेतु अपीलार्थी को दिनांक 12.05.2022 को
कारण बताओं नोटिस जारी किया जाकर स्पष्टीकरण भी चाहा गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा
कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या
27/2022 अन्तर्गत दिनांक 05.08.2022 को अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने
का विधिवत् निर्णय किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी एक व्योवृद्ध व्यक्ति
होकर उचित मूल्य दुकान संचालन में सक्षम नहीं है और उसके द्वारा उचित मुल्य दुकान
का संचालन स्वयं के द्वारा नहीं किया जाकर अन्य व्यक्तियों से संचालित कराया जाता है।
अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें
मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 22.09.2022, प्रकरण संख्या 27/2022 की समस्त
आदेशिकाओं सहित निलम्बन आदेश दिनांक 12.05.2022 एवं प्राधिकार पत्र निरस्ती निर्णय
एवं आदेश दिनांक 05.08.2022 तथा कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.05.2022 एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन दिनांक 07.05.2022 के साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का भी
गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन प्रचलित विधियों के परिपक्ष्य में किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी द्वारा संचालित
उचित मूल्य दुकान FPS कोड संख्या 15199 केलामेला के वक्त निरीक्षण कार्यवाही दिनांक
07.05.2022 के दौरान निर्मित पर्चा मौका एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक
द्वारा उचित मुल्य दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की मात्रा एवं भौतिक सत्यापन में उपलब्ध मात्रा
अन्तर्गत 5.52 क्विटल गेहुँ की मात्रा का अन्तर होना अंकित किया गया है साथ ही अन्य

जिला कलक्टर (राज.)

बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में भी उचित मूल्य दुकानदार की अनियमितताओं को प्रदर्शित किया गया है जिसके संबंध में अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.05.2022 के जरिये स्पष्टिकरण तलब किया जाना भी उपलब्ध रिकार्ड है जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया हो रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, किन्तु विपक्षी जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र FPS कोड संख्या 15199 को निलम्बित करने हेतु जारी आदेश दिनांक 12.05.2022 एवं निरस्ती आदेश दिनांक 05.08.2022 अन्तर्गत केवल अपीलार्थी उचित मुल्य दुकान द्वारा गेहुँ वितरण में अनियतताओं का आधार बताते हुए जारी किये गये है जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही प्रकरण संख्या 27/2022 में पारीत निर्णय दिनांक 05.08.2022 अन्तर्गत रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक रसद दिनांक 04.08.2022 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा कमी गेहुँ कि मात्रा का अन्तरण वैकल्पिक दुकानदार FPS कोड 15205 कुपड़ा के संचालक श्री राजेन्द्र प्रसाद को कमी स्टॉक मात्रा 50.02 क्विटल गेहुँ सूपुर्द कर दिया जाना अंकित किया गया है तथा प्रकरण में अधिनस्थ से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली अन्तर्गत निलम्बित/निरस्त प्राधिकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (विनिमय एवं वितरण) आदेश 1976 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 का किस प्रकार उल्लघंन का दोषी है और शर्त संख्या 11 का तात्पर्य क्या है रिकार्ड प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे प्रकरण में वर्णित विवाद्यकों का समुचित निराकरण किया जा सके। साथ ही अपीलार्थी द्वारा विगत 25-30 वर्षो से संचालित उचित मुल्य दुकान के संचालन के संबंध में पूर्व में कोई शिकायत अथवा जांच कार्यवाही प्रस्तावित की गई हो दर्शित रिकार्ड नहीं पाया गया है तथा अपीलार्थी एकल परिवार के रूप में रहते हुए उसके कोई जायन्दा संताने नहीं होकर उसका जीवन यापन उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर होना अपीलार्थी को कहीं न कहीं शिथिलन का पात्र दर्शित करती है। जिसके आधार पर अपीलार्थी को एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 12.05.2022 एवं 05.08.2022 को अपास्त किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु जब्त धरोहर राशि को आंशिक शास्ति के रूप में समायोजित रखते हुए नवीनतम् राशि जमा कराये जाने की शर्त के साथ प्राधिकार पत्र बहाल करे तथा अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि वह बहाल प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार विधिवत् उचित मुल्य दुकान का स्वयं युक्ति-युक्त संचालन करेगें पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को सरेइजलास सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ